ी) प्रतापगढ़

| | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| | |

निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़

प्रकरण 56/12

दि 4/11/15

श्री दिनेश S/o मोगीलाल ब्राह्मण निवासी रजोरा बनाम मोगीलाल S/o जस[illegible] ब्राह्मण निवासी र[illegible]

पीठासीन अधिकारी - श्री दिनेश कुमार मण्डावरा

अ.धा 53-88 R[illegible]

निर्णय

संक्षिप्त मे विवरण इस प्रकार है कि प्र[illegible] दिनेश S/o मोगीलाल ब्राह्मण निवासी रजोरा ने एक वाद विरुद्ध श्री मोगीलाल S/o जसलाल, मुकेश S/o मो[illegible] श्रीमति रेखा D/o मोगीलाल, अंगुरबाला D/o मोगी[illegible] मेनेजर S.B.D.J. प्रतापगढ़ एवं तहसीलदार प्रता[illegible] का अ.धा. 53. 88 R.T.A. का पेश कर निवेद[illegible] किया कि वादि एवं प्रतिवादी के बाप दादाओ की आराजि[illegible] ~~ग्राम~~ ग्राम रजोरा मे निम्न प्रकार है।

| क्र स | आ न. | रकबा | लगान |
|---|---|---|---|
| 1 - | 120 — | 0.85 — | 5.22 |
| 2 - | 860/1027 — | 0.08 — | 0.72 |
| 3 - | 863 — | 2.50 — | 22-50 |
| 4 - | 863/937 — | 0.07 — | 0.63 |
| 4 | क्र | 3.23 - | — |

उक्त आराजियात मे वादि एवं प्रतिवादी का आपस मे बटवारा होकर अलग-अलग काश्त करते चले आ रहे है। जो निम्न प्रकार है।

उपखण्ड अधिकारी
प्रतापगढ़

लगातार पृष्ठ 24

उक्त खाता खाता वादि एवं प्रतिवादीगणो के बाप दादा का है। और वादि एवं प्रतिवादीगणो के बिच आपसू मे बटवारा होकर निम्न प्रकार काश्त करते आरहे है। आराजी नं. 863, 860/1027, 863/937 आपस मे मिले होकर इन आराजियात मे वादि एवं प्रतिवादी कृ. 2 का बराबर-बराबर का हिस्सा ग्राम रजो... की आराजियात निम्न प्रकार है।

| आ.न | क्षेत्रफल |
|---|---|
| 863 मीन - | 1.25 |
| 860/1027 मीन | - 0.04 |
| 863/937 मिन | - 0.03 |
| कुल किता 3 कुल रकबा | 1.32 |

उक्त आराजियात मे कुआ स्थित है जि... पर दोनो वादि एवं प्रतिवादी पीवल कर रहे है और करते रहेगे।

प्रतिवादी क्रमांक 2 के हिस्से मे निम्न आराजि... रहेगी

| आ.न | रकबा |
|---|---|
| 863 मीन - | 1.25 |
| 860/1027 मीन - | 0.04 |
| 863/937 मीन - | 0.04 |
| किता 3 रकबा - | 1.33 |

प्रतिवादी क्रमांक एक के हिस्से मे निम्न प्रकार रहे...

| आ.न. | रकबा |
|---|---|
| ~~1-20~~ 120 — | 0.58 |
| किता 1 रकबा | 0.58 |

उक्त बटवारे के अनुसार वादि एवं प्रतिवादी कृ. एक, दो के कब्जे काश्त मे है और प्रतिवादी क्रमांक 3 ने हिस्सा लेने से इन्कार कर दिया है। इनके ... कोई आराजियात नही है। अतः वाद प्रस्तुतकरवा... एवं प्रतिवादी का बराबर हिस्सा कर हिस्सा वादित घोषित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
...

लगातार ... 340...

अत: ~~प्रा~~ वाद दर्ज रजिस्टर कि[illegible] जाकर प्रतिवादीगणो को सम्मन जारी किये ग[illegible] तथा जवाब चाहा गया। प्रतिवादी कुमांक 3[illegible] ने जवाब पेश कर वाद की चरण संख्या 5 तक [illegible] किया है तथा प्रतिवादी। व 2 के खिव बटवारा [illegible] जावे तो इसे वाद की चरण सं. 4 स्वीकार है [illegible] वादि एवं प्रतिवादीगण एक व दो ने आपस मे [illegible] पेश कर निवेदन किया कि हमारा आपस मे राजी[illegible] होगया है जो शा.फा. किया जाकर वाद मे दर्शायी ग[illegible] आराजी ओर रकबा मान्य है तथा प्रतिवादी कुमांक [illegible] प्रतिवादी कुमांक एक की लडकिया है। उन्होने उन्हे[illegible] वाद ग्रस्त आराजियात मे कोई भी हिस्सा लेने [illegible] इन्कार करने का जवाब पेश कर दिया है जो शा.फा[illegible] गया। बाद जवाब प्राथमिक डिक्रि जारी की [illegible] जिस पर तहसीलदार प्रतापगढ़ ने फर्द बटवारा पेश [illegible] जो निम्नानुसार है।

① दिनेश S/o भोगीलाल ब्राह्मण

| आ.न | रकबा |
|---|---|
| 863 मी. | 1.25 |
| 860/1027 मी. | 0.04 |
| 863/1037 मी. | 0.03 |
| 3 | 1.32 |

② भोगीलाल S/o जसपाल [illegible]

| आ.नं. | रकबा |
|---|---|
| 120 | 0.58 |
| 1 | 0.58 |

③ मुकेश S/o भोगीलाल ब्राह्मण

| आ न | रकबा |
|---|---|
| 863/1 | 1.25 |
| 860/1027/1 | 0.04 |
| 863/637/1 | 0.04 |
| 3 | 1.33 |

तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत फर्द बटवा[illegible] वादि-प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार एवं उन[illegible] ग्राम रठोरा के खातेदारी घोषित कि जाकर अंतिम डि[illegible] हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
प्रतापगढ़

दिनेश कुमार [illegible]
उपखण्ड अधिका[illegible]
प्रतापगढ़